



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1848]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 8, 2010/भाद्र 17, 1932

No. 1848]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 8, 2010/BHADRA 17, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2010

(आयकर)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2010

(INCOME TAX)

का.आ. 2194(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (15) के उप-खण्ड (iv) की मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा वित्त वर्ष 2010-2011 के दौरान इंडियन रेलवे फाइनांस कारपोरेशन (आई आर एफ सी) के ट्रांचे के आकार एवं कार्यकाल के आधार पर 6% से 7.25% प्रतिवर्ष तक की ब्याज दर के साथ पब्लिक इश्यू के मामले में 1000 रुपये प्रत्येक तथा अन्य मामलों में 100000 रुपये प्रत्येक के कुल तीन हजार आठ करोड़ रुपये मात्र के कर मुक्त प्रत्याभूत, विमोचनीय, अपरिवर्तनीय रेलवे बॉण्ड जारी करने के लिए अधिकृत करती है :

बशर्ते कि उक्त मद के अंतर्गत लाभ तभी ग्राह्य होगा जब ऐसे बांडों का धारक उक्त कारपोरेशन के यहां अपना नाम एवं होल्डिंग पंजीकृत कराए ।

[अधिसूचना सं. 72/2010/फा. सं. 178/126/2009-आ.क.नि.-1]

रमण चोपड़ा, निदेशक (आ.क.नि.-1)

S.O. 2194(E).—In exercise of the powers conferred by item (h) of sub-clause (iv) of clause (15) of Section 10 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorizes the Indian Railway Finance Corporation (IRFC) to issue, during Financial Year 2010-11, tax free secured, redeemable, non-convertible Railway Bonds of Rs. 1,000 each in case of public issue and Rs. 1,00,000 each in other cases, aggregating to an amount of three thousand and eighty crore rupees only, carrying an interest rate in the range of 6% to 7.25% per annum, depending upon the size and tenor of a tranche :

Provided that the benefit under the said item shall be admissible only if the holder of such bonds registers his or her name and the holding with the said Corporation.

[Notification No. 72/2010/F. No. 178/126/2009-ITA-1]

RAMAN CHOPRA, Director (ITA-1)